रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 580] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 1983/पौष 5, 1905
No. 580] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 1983/PAUSA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1983

(इलायची नियंत्रण)

का० आ० 931(अ) :—केन्द्रीय सरकार, इलायची नियम, 1966 के नियम 3 के उप-नियम (i) और नियम 5 के उपनियम (2) के साथ पठित इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गु० पी० सिंह, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय को श्री पवन चोपड़ा के स्थान पर इलायची बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 809 (अ), तारीख 17 नवम्बर, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, क्रम संख्या 4 और पहले स्तंभ में उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4. श्री यू० पी० सिंह,
निदेशक,
वाणिज्य मंत्रालय,
नई दिल्ली ।"

[फा० सं० 32/31/81-प्लांट (बी)]
बी० एम० एस० नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1983

(CARDAMOM CONTROL)

S.O. 931(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (d) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965) read with sub-rule (1) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby appoints Shri U.P. Singh, Director, Ministry of Comerce, as a member of the Cardamom Board vice Shri Pawan Chopra, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 809(E), dated the 17th November, 1982, namely :—

In the Table under the said notification, for serial number 4 and the entry relating thereto in the first column, the following serial number and entry shall be substituted namely :

"4. Shri U. P. Singh,
Director,
Ministry of Commerce,
New Delhi."

[File No. 32|31|81-Plan(B)]
B. M. S. NEGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983